

प्रेषिका,

श्रीमती पल्लवी सिंह,
अपर सिविल जज(सी०डि०)द्वितीय,
अयोध्या।

सेवा में,

महा निबन्धक,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
प्रयागराज।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
अयोध्या।

विषय:- माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय द्वारा आंकलन वर्ष 2022-23 के संदर्भ में प्रार्थिनी को दी गयी प्रविष्टि के विषय में।

माननीय महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थिनी अपर सिविल जज(सी०डि०)/ ए.सी.जे.एम अयोध्या के पद पर कार्यरत हैं एवं जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आंकलन वर्ष 2022-23 के सन्दर्भ में प्रार्थिनी को अति उत्तम (Very Good) की प्रविष्टि दी गयी थी। जिसे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा अति उत्तम (Very Good) के स्थान पर उत्तम(Good) कर दी गई है।

महोदय सम्मान पूर्वक यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा प्रार्थिनी के Over all assessment में टिप्पणी करते हुए यह अंकित किया गया है कि "I have pursued the details of the execution case and surprised that only one execution case has been decided on merits and rest of the six cases were decided on otherwise basis. This by itself indicates that the officer concerned is not coping with the pace of the execution cases and seems to be reluctant officer."

महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस आंकलन वर्ष में 5 वर्ष पुराने कुल 92 वादों का निस्तारण किया गया है। 10 वर्ष पुराने कुल 84 प्राचीन वादों का निस्तारण किया गया। कुल 30 मूलवादों में निर्णय पारित किये गये जिसमें 18 Contested Judgment थे। जिसमें 1 वाद 1992 का, 1 वाद 1995 का, 1 वाद 1996 का, 2 वाद 1998 का व 3 वाद 2000 का Contested Judgment शामिल है। महोदय मेरे द्वारा कुल 49 प्रकीर्ण वादों भी निर्णित किये गये, जिसमें से 9 contested व शेष एक पक्षीय रूप से निर्णित किये गये। महोदय मैंने कुल 7 निष्पादन वादों भी निस्तारित किये जिसमें से एक Full Satisfaction पर निस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त गुणदोष के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा०प्र० संशोधन प्रा०प्र० सर्वे आयुक्त आख्या, वादबिन्दु विरचन व निस्तारण किया गया। मेरे द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत भी वाद निस्तारित किये गये। मेरे द्वारा 4 उत्तराधिकार भी निर्णित किया गया जिसमें से एक गुणदोष के आधार पर निर्णित किया गया।

माननीय महोदय को अवगत कराना है कि प्रार्थिनी मातृत्व अवकाश पर दिनांक 01.12.2021 से 28.05.2022 तक थी व 29 मई 2022 को कार्यभार पुनः ग्रहण किया। जून में सिविल न्यायालय बंद थे परन्तु उस दौरान भी प्रार्थिनी ने 2 दण्डिक पत्रावलियों को निस्तारित किया। प्रार्थिनी जून माह में भी 20 दिनों तक बाल देखभाल अवकाश पर रही। महोदय मेरे द्वारा पुनः जुलाई 2022 से न्यायालय का कार्यभार ग्रहण कर अपनी पूरी शक्ति व सामर्थ्य के साथ कार्य करने का प्रयास किया गया। परन्तु फैजाबाद बार एसोसिएशन के अनवरत न्यायिक कार्य से विरत रहने से कार्य निष्पादन में बहुत बाधा उत्पन्न हुई। मेरे कुल कार्य दिवस 180 में से 100 दिन तक घोषित व करीब 10-12 दिन अघोषित तौर पर अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिसके कारण पत्रावलियों पर सुचारु रूप से कार्यवाही करने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा परन्तु फिर भी प्रार्थिनी ने अधिवक्तागण के अनुपलब्ध होने के बावजूद भी अथक प्रयास से यथासम्भव अधिकाधिक वादों, प्रकीर्ण वाद, निष्पादन वाद व उत्तराधिकार वाद निस्तारित किये व वांछित यूनिट 539.20 के एवज में


1003.25 यूनिट प्राप्त किये जिसमे 50% से ज्यादा वाद के अंतिम रूप से निस्तारित होने से यूनिट प्राप्त की गयी है।

माननीय महोदय को ससम्मान अवगत कराना है कि न्यायालय मे 01.04.2022 को कुल 27 इजरा वाद लम्बित थे। व दिसंबर माह मे 17 और इजरावाद स्थानांतरित होकर प्राप्त हुए। मेरे द्वारा इजरा वादो को निस्तारित करने का हर संभव प्रयास किया गया। सभी इजरा वाद मे Short Date नियत की जाती थी। मेरे द्वारा निर्णित ऋणि की आपत्ति अन्तर्गत धारा 47 जा०दी० का एक प्रकीर्ण वाद भी निस्तारित किया गया। मेरे द्वारा इजरा वाद सं० 1/19, 30/90, 19/16, 15/19 व 13/11 आदि वाद मे अमीन को परवाना जारी करने का आदेश पारित किया गया। जिसमे से कुछ पत्रावलियाँ मेरे बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अगले आंकलन वर्ष में निस्तारित भी की गयी। अतः मैंने भरसक प्रयास इजरा वाद को निस्तारित करने हेतु किया इजरा वाद की पत्रावलियों के साथ कोई उपेक्षा नही की गयी।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि आंकलन वर्ष 2022-23 के सन्दर्भ मे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा प्रार्थिनी को दी गयी प्रविष्टि व टिप्पणी पर प्रार्थिनी के भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए टिप्पणी विलुप्त किये जाने व प्रविष्टि मे सुधार करने की महती कृपा करे।

माननीय निबंधक महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थिनी सदैव आपकी आभारी रहेगी ससम्मान।

दिनांक- 31/10/23

भवदीया,

पल्लवी सिंह

सिविल जज(सी०डि०) द्वितीय/
ए०सी०जे०एम०, अयोध्या।